(वाद संख्या–7241/16)

02.03.2020

परिवादी, वीरेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त लिपिक, प्रस्तावित जनता उच्च विद्यालय, सादपुर, प्रखण्ड–साहेबपुर कमाल, जिला–बेगूसराय, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, प्रस्तावित जनता उच्च विद्यालय, सादपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक, श्री नारायण यादव द्वारा वित्तीय वर्ष, 2010–11 के सरकारी अनुदानित राशि में से परिवादी द्वारा किये गये कार्य के मानदेय का भुगतान न कर, सरकारी राशि का गबन करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा परिवादी के परिवाद–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय से जाँच करायी गयी, जो संचिका के पृष्ठ–20 से 143/प0 पर रक्षित है। जाँच–प्रतिवेदन के अनुसार उक्त विद्यालय के प्रबंध कार्यकारणी समिति द्वारा अपने बैठक संख्या–06–98, दिनांक–29.05.1998 के प्रस्ताव संख्या–02 में परिवादी, वीरेन्द्र कुमार के लिपिक को पद पर बने रहने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रबंध कारणी समिति, जनता उच्च विद्यालय, सादपुर के अनुसार परिवादी की नियुक्ति दिनांक–07.05.1982 को हुई थी तथा उनके द्वारा दिनांक–31.03.2014 तक अनवरत रूप से सेवा कार्य किया गया। वित्तीय वर्ष, 2010–11 में सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा उक्त विद्यालय को अनुदान हेतु 433800/– रुपये प्राप्त हुआ। विद्यालय के शिक्षक उपस्थिति पंजी में कुल–11 कर्मियों का हस्ताक्षर है, लेकिन उसमें परिवादी का हस्ताक्षर नहीं दर्शाया गया है। अनुदान की राशि का शिक्षक उपस्थिति पंजी में उल्लेखित कुल–11 कर्मियों में से 10 कर्मियों का भुगतान किया गया। इसीतरह वित्तीय वर्ष, 2009–10 में उक्त

विद्यालय को 273200/– रुपये का सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ। शिक्षक उपस्थिति पंजी में कुल 11 कर्मियों का नाम दर्ज है। परिवादी सहित दो कर्मियों को पुरे सत्र में उक्त पंजी में अनुपस्थित दर्शाया गया है।

जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से प्राप्त उपरोक्त आशय के प्रतिवेदन पर आयोग के दिनांक–25.02.2019 के आदेशानुसार जांच कर कार्रवाई प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से अनुरोध किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के निदेशक (शैक्षणिक) द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष, 2009–10 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अनुदानित विद्यालयों को वार्षिक परीक्षा में छात्रों की उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान विमुक्त किया जाता है जिसे संबंधित अनुदानित विद्यालयों द्वारा स्वीकृत एवं विधिवत् रूप से नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को समानुपातिक रूप से भुगतान किया जाता है। अनुपस्थित कर्मियों को बिना अवकाश स्वीकृति के भुगतान नहीं किया जाना है। समिति द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष का अनुदान वितरण करने के पूर्व गत वर्ष का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा कर अनुदान राशि विमुक्त किया जाता है। वित्तीय वर्ष, 2011–12 के लिए 20,26400/–रुपये समिति द्वारा प्रासंगिक विद्यालय को अनुदान हेतु विमुक्त किया गया। इस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं चाटर्ड एकाउन्टैंट से प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार उक्त विद्यालय के कार्यरत 06 शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के बीच अनुदान की राशि का समानुपातिक रूप से वितरण किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोग को यह भी सूचित किया गया है कि **परिवादी विद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। अतः प्रासंगिक विद्यालय द्वारा उनके अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण उन्हें अनुदान की राशि का वितरण नहीं किया जाना उचित प्रतीत होता है।**

उपरोक्त के संबंध में परिवादी द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल कर आयोग को सूचित किया गया कि वह 2007 से लेकर 2009

तक विद्यालय में उपस्थित था तथा उसने उक्त अवधि में विद्यालय के उपस्थिति पंजी पर अपना हस्ताक्षर किया था। परिवादी की ओर से उक्त अवधि के उपस्थिति पंजी की छाया–प्रति भी दाखिल की गयी है, लेकिन परिवादी की ओर से वर्ष, 2009 के बाद की अवधि के उपस्थिति पंजी की छाया–प्रति दाखिल नहीं की गयी है जिससे यह प्रतीत हो कि वह 2009 के बाद भी प्रासंगिक विद्यालय में उपस्थित था। प्रासंगिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पत्र (पृ0–225/प0) के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि दिनांक–24.07.2010 के प्रासंगिक विद्यालय के प्रबंध कार्यकारणी समिति द्वारा परिवादी के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें पदच्यूत (हटा दिया गया) कर दिया गया है।

प्रासंगिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के प्रतिवेदन व उक्त प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित कागजातों व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निदेशक (शैक्षणिक) के प्रतिवेदन व प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित कागजातों से यह प्रतीत होता है कि परिवादी उक्त विद्यालय से लगातार अनुपस्थित थे। अतः अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण परिवादी को सरकारी अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर आयोग के स्तर पर इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>